रिवीजन क्र०-

प्रस्तुति दिनांक- 1/6/09

राoराoश्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर मoप्रoकेम्प इंदौर

R-764-II/09

§1§ सुभाषचन्द्र पिता श्री हनुमानप्रसाद
निवासी- ओम हाऊसिंग सोसायटी,
मूर्तिजापुर रोड अकोला महाराष्ट्र

§2§ हरिप्रकाश पिता हनुमानप्रसाद बंसल

§3§ मूलचंद पिता हनुमानप्रसाद बंसल
दोनो निवासी- रामकृष्णगंज खण्डवा
तह० व जिला पूर्व निमाड खण्डवा मoप्रo

§4§ राधेमोहन पिता हनुमानप्रसाद बंसल
निवासी-कल्लनगंज, तहसील खंडवा
जिला पूर्व निमाड खण्डवा मoप्रo

----प्रार्थीगण

Received camp Indore 9-6-09

विरूद्ध

राजेन्द्र प्रसाद पिता हनुमानप्रसाद बंसल
निवासी- रामकृष्णगंज खण्डवा
जिला पूर्व निमाण खंडवा मoप्रo

----प्रतिप्रार्थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – खण्डवा

निग0 764–दो/2009

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19–1–2015 | आवेदकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदकों द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इन्दौर संभाग के प्रकरण क्रमांक 20/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 9--3–2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। आवेदक अभिभाषक दिनांक 9–3–09 को निगरानी पेश करने के बाद लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक किसी पेशी पर उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही प्रकरण की जानकारी लेने की कोशिश की है। आवेदक को कई बार सूचना भी जारी की गई, परन्तु न तो आवेदक एवं न ही उनके अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(डा0 मधु खरे)<br>सदस्य | |